# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव आर.ए.एस

नम्बर मुकदमा :– 11/25

01. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड हॉल्डर तहसीलदार बीदासर

............वादी

**बनाम**

1. स्टॉकवेल चूरू टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जरिये प्रतिनिधि महेंद्र कुमार बैरवा पुत्र जगदीश प्रसाद जाति बैरवा निवासी सिपला की ढाणी, बांदीकुई, दौसा।
2. देवाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चुरू

..............प्रतिवादीगण

## वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 84, 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

01. पैरोकार राज।
02. प्रतिवादी स्वयं।
03. श्री सोनु प्रजापत प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से।

## –: निर्णय :–

दिनांक :– 21-8-2025

प्रस्तुत वाद–पत्र के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर की ओर से एक वाद–पत्र इस आशय का पेश किया है कि खसरा संख्या 1166/1056 तादादी 2.5292 हेक्टेयर राजस्व ग्राम ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इसमें से रकबा 1.76 हैक्टेअर स्टॉकवेल सोलर कम्पनी ने लीज पर ले रखी है। उक्त भूमि पर 06 पेड़ खेजड़ी के तथा 01 पेड़ रोहिड़ा के स्थित है। जिसे अप्रार्थीगण ने अनाधिकृत रूप से बिना अनुमति के काट दिये है। जिनमें से 15 पेड़ खेजड़ी के तथा 03 पेड़ रोहिड़ा की लकड़ी जब्तशुदा है। काटी गई लकड़ी मौके पर जब्त सरकार कर श्री शिवप्रकाश पुत्र रतनलाल नेहरा जाति जाट निवासी ढढेरू भामूवान की सुपुर्दगी में दी गई है। हरे वृक्षों को अनाधिकृत रूप से काटना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण तहसील क्षेत्र बीदासर का होने से माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का है। प्रार्थना–पत्र राज्य हित में भूमि धारी द्वारा पेश किये जाने से न्यायालय शुल्क से मुक्त है। निवेदन किया कि प्रकरण में अप्रार्थीगण को दण्डित किया जाकर जो भी कानूनी दाद दिलाई जानी उचित हो,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

...। जब्तशुदा लकड़ी मौके पर खुर्द बुर्द होने की संभावना है, अतः नीलामी के आदेश शीघ्र फरमावे तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द करावे ...ईन्दा बिना विधिवत अनुमति के पेड़ों की कटाई न करें। आदि आदि अंकित कर वाद–पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को विधिवत सूचना भिजवाई गई। जिसपर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रतिनिधि श्री सोनू प्रजापत तथा प्रतिवादी संख्या 02 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिशल है। पत्रावली में बहस पक्षकारान सुनी गई।

पत्रावली में वर्णित तथ्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर आये साक्ष्यों को बगौर देखा। प्रकरण प्रतिवादीगण द्वारा हरे वृक्षों को बिना अनुमति लिए काटने का है। वादगत प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा खेत खसरा संख्या 1166/1056 तादादी 2.5292 हेक्टेयर राजस्व ग्राम ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चूरू में पटवारी हलका की मौका रिपोर्ट के अनुसार अनधिकृत रूप से 06 पेड़ खेजड़ी के तथा 01 पेड़ रोहिड़ा के काट लिए गए है। जिनको पटवारी हलका द्वारा फर्द मौका दिनांक 25.12.2024 से जब्त कर मौतवीर शिवप्रकाश पुत्र रतनलाल नेहरा जाति जाट निवासी ढढेरू भामूवान के कब्जा/तहवील में दिए जाकर इनकी देखरेख में सुरक्षित रखवाये गए। पटवारी हलका की रिपोर्ट/फर्द मौका व बहस पक्षकारान से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से हरे वृक्ष काटे गए। जिसके लिए प्रतिवादीगण दोषी पाए गए।

**–:आदेश :–**

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण को धारा 84, 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दोषी मानते हुए प्रतिवृक्ष 100/– रूपये (अखरे रूपये सौ मात्र) के हिसाब से कुल 700/– रूपये (अखरे रूपये सात सौ मात्र) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा जब्तशुदा लकड़ी को जरिये सार्वजनिक नीलामी के नीलाम कर राशि बाद अनुमोदन राजकोष में जमा कराने के आदेश दिए जाते है। साथ ही काटे गए प्रति हरे वृक्ष की एवज में प्रतिवादीगण दो हरे और सघन छायादार वृक्ष उक्त वादगत खसरा भूमि में लगाए। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21-8-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर